Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding alleged irregularities in mining activities in Metabodeli village in Kanker district of Chattisgarh - Laid

श्री विक्रम उसेंडी (कांकेर): छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिले के उप-तहसील कोयलीबेड़ा के ग्राम मेटाबोदेली में एक खदान खनन हेतु एक कंपनी को वर्ष 2006-07 में लीज़ पर दी गयी थी। यह खदान कोयलीबेड़ा के फॉरेस्ट रेंज में स्थित है। कुल लीज का क्षेत्र 25 हेक्टेयर हैं जिसमें से 23 हेक्टेयर क्षेत्र खदान के लिए एवं 2 हेक्टेयर पहुँच मार्ग के लिए है। इस खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र संरक्षित वन के अंतर्गत आता है। लीज के निष्पादन के समय क्षेत्र का सीमांकन किया गया एवं 23 हेक्टेयर क्षेत्र पर स्थित वृक्षों को काट दिया गया। सर्वे के दौरान कंपनी के द्वारा वास्तविक लीज के स्थान पर 150 मीटर एवं 25 हेक्टेयर क्षेत्र में मूल पट्टे की सीमा को स्थानांतरित कर दिया है। यह एक प्रश्न चिन्ह है कि किन परिस्थितियों में निष्पादित लीज क्षेत्र को 23 हेक्टेयर के स्थान पर 25 हेक्टेयर में परिवर्तित कर दिया गया। राज्य वन विभाग एवं माईनिंग विभाग की जांच के बावजूद कंपनी की इस भारी चूक को नजर अंदाज किया गया। किस तरह से इतने अधिक अंतर के बावजूद पूरक लीज अनुबंध को स्वीकृति दी गयी। एमएमडीआर के अनुसार अवैध खनन के तहत लीज को रद्द किया जाना चाहिए जबकि सरकार द्वारा बिना किसी अनुमोदन के लीज क्षेत्र को 23 हेक्टेयर के स्थान पर 25हेक्टेयर कर दिया गया और 2015 के संशोधन के उपरांत लीज की अवधि को 50 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी द्वारा कार्यस्थल पर रासायनिक प्रयोगशाला भी स्थापित नहीं की गई है। बिना किसी परीक्षण के उत्पादन किया जा रहा है और बिना किसी ग्रेड के आधार पर रॉयल्टी निर्धारित की जा रही है। इस तरह सरकार को प्रतिवर्ष 20 करोड़ से ज्यादा की रॉयल्टी की हानि हो रही है। इसके साथ ही कांकेर जिला के ग्राम-बरबसपुर में भी सन् 2015 से खदान का परिचालन किया जा रहा है। इन दोनों खदानों में पर्यावरण संशोधन से संबंधित शर्तों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। लीज क्षेत्र से बाहर वृक्षों की अत्यधिक कटाई की गयी है। कंपनी की क्षमता में वृद्धि एवं सरकार के द्वारा पूरक लीज के निष्पादन के बावजूद पंजीयक शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी को राज्य एमआरडी के द्वारा नजर अंदाज किया गया। इस तरह करीब 45 करोड़ रुपए की हानि हुई है।

अत :सरकार से अनुरोध है कि दोनों स्थानों में चल रहे खदानों की अनियमितता की उच्चस्तरीय जांच कर कार्यवाही की जाये।